अन्तिम विनियम

भोपाल, दिनांक 25 जून, 2004

क्रमांक – 1714 – म.प्र.वि.नि. – 04 – , विद्युत अधिनियम, 2003 (36 वर्ष 2003) की धारा 87 सह पठित धारा 181 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा राज्य परामर्शदात्री समिति के संबंध में, तथा ऐसे विषय जो उससे प्रासंगिक एवं सहायक हो, **राज्य परामर्श दात्री समिति का गठन एवं उसकी कार्य प्रणाली, विनियम 2004** बनाता है, अर्थात् –

(राज्य परामर्श दात्री समिति का गठन एवं उसकी कार्य प्रणाली) विनियम 2004

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ

(1) यह विनियम मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य परामर्शदात्री समिति का गठन एवं उसकी कार्य प्रणाली) विनियम 2004 कहा जावेगा ।

(2) यह विनियम मध्यप्रदेश शासन के ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे ।

2. परिभाषाऐं

इस अधिनियम में , जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(अ) '' अधिनियम '' से अभिप्रेत विद्युत अधिनियम 2003 (क्र. 36 वर्ष 2003)

(ब) ''आयोग'' से अभिप्रेत मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

(स) ''समिति'' से अभिप्रेत राज्य परामर्शैदात्री समिति

(द) प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियां जिन्हें यहां विशिष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का अर्थ वही होगा जो उन्हें अधिनियम में प्रदत्त है ।

3. समिति का गठन

(1) समिति में 21 से अधिक एवं 15 से अन्यून सदस्य होंगे जो समय–समय पर आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 (क्र. 36 वर्ष 2003) की धारा 87 के अनुरूप नामांकित किए जावेंगे । एक

नया सदस्य रिक्ति के दिनांक से, यदि ऐसी रिक्ति अधिनियम की धारा 87 के अन्तर्गत भरी जाना हो तो, दो माह की अवधि में आयोग द्वारा नामांकित कर दिया जना चाहिए । एक नामांकित सदस्य केवल एक अतिरिक्त कालावधि हेतु पुनः नामांकित किया जा सकेगा ।

(2) समिति के सदस्य 3 वर्ष की कालावधि के लिए नामांकित किए जावेंगे ।

(3) यदि कोई सदस्य, पदेन सदस्य को छोड़कर समिति की लगातार 3 बैठकों में, विना आयोग की पूर्व सूचना के तथा अनुपस्थिति के बिना ठोस कारणों के, भाग लेने में असफल रहता है, तो वह राज्य समिति का सदस्य नहीं रहेगा ।

(4) आयोग के अध्यक्ष इस समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे तथा आयोग के सदस्य एवं राज्य सरकार का सचिव जो उपभोक्ता मामलों तथा लोक वितरण प्रणाली से संबंधित विभाग या मंत्रालय का प्रभारी हो, समिति के पदेन सदस्य होंगे ।

4. <u>समिति के सचिव</u>

(1) आयोग के सचिव इस समिति के पदेन सचिव होंगे ।

(2) सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह अध्यक्ष की अनुमति से समिति की बैठकें आयोजित करें तथा सदस्यों को, यदि अध्यक्ष द्वारा विशिष्ट रूप से अन्यथा निर्देशित न किया गया हो, ऐसी प्रस्तावित बैठक की लिखित सूचना बैठक का दिनांक, समय व स्थान दर्शाते हुए, 14 दिन पूर्व दे ।

5. <u>बैठक की कार्यवाहियॉ :–</u>

(1) समिति की बैठकों का कार्यवाही विवरण, इस उद्देश्य हेतु संधारित, कार्यवाही पंजी में अभिलिखित किया जावेगा तथा बैठक के अध्यक्ष द्वारा अंग्रेजी बैठक में या अगामी बैठक के पूर्व किसी भी समय हस्ताक्षरित किया जावेगा ।

(2) समिति प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बैठक आयोजित करेगी ।

(3) समिति की बैठक आरंभ करने हेतु गणपूर्ति 6 होगी ।

(4) ऐसी विधिक गणपूर्ति के उपरान्त प्रारंभ हुई बैठक चालू रहेगी भले ही बैठक के दौरान भाग ले रहे सदस्यों की संख्या नियम गणपूर्ति से कम हो जाए ।

(5) यदि बैठक आरंभ होने पर गणपूर्ति न हो तो कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी तथा बैठक के अध्यक्ष द्वारा, ऐसी अग्रिम तिथि के लिए जो अध्यक्ष द्वारा नियत की जावे बैठक स्थगित की जा सकेगी । स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी ।

(6) स्थगित बैठक में पूर्व बैठक हेतु प्रस्तावित एजेन्डा पर सर्वप्रथम विचार किया जावेगा इससे पूर्व कि अन्य विषय विचार हेतु लिए जावें ।

(7) समिति की किसी बैठक की कार्यवाही मात्र इसलिए अबैध नहीं होगी कि समिति में कोई रिक्ति है या इस कारण से कि बैठक के सूचना या ऐजेन्डा पत्रक समिति के किसी सदस्य को प्राप्त नही हुऐ हैं या बैठक की कार्यवाही संचालित करने में कोई अनियमितता हुई है ।

(8) जब तक कि आयोग द्वारा अन्यथा अधिसूचित न किया जावे, समिति की समस्त बैठकें आयोग कार्यालय में आयोजित की जावेंगी ।

6. राज्य परामर्श दात्री समिति के सदस्यों को शुल्क एवं भत्ते

(1) पदेन सदस्य को छोड़कर, समिति के सदस्य को प्रति बैठक जो चार घंटे चली हो रू. 200/– (दो सौ रूपये मात्र) तथा जो दिन में चार घंटे से अधिक चली हो रू. 350/– (तीन सौ पचास रूपेय मात्र) शुल्क की पात्रता होगी ।

(2) समिति के सदस्य को समिति की बैठक में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय की पात्रता, टिकिट आदि प्रस्तुत करने पर, होगी तथा यह द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित रेल यात्रा या वास्तविक व्यय जो भी कम हो, तक सीमित होगी ।

7. सदस्य का त्याग पत्र

समिति के पदेन सदस्यों को छोड़कर, कोई सदस्य आयोग के सचिव को लिखित सूचना द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकेगा जो आयोग के अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत करने के दिनांक से प्रभावशील होगा ।

8.. सदस्य का हटाया जाना

(1) आयोग, समिति के किसी सदस्य को, पदेन सदस्य को छोड़कर हटा सकेगा जो,

(अ) दिवालिया होना न्याय निर्णीत कर दिया गया हो ।

(ब) ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध हो गया हो जो नैतिक अधमता से सम्बन्धित हो ।

(स) सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया हो।

(द) ऐसा कार्य किया हो जो उसकी पद प्रतिष्ठता के प्रतिकूल हो तथा उसका पद पर बने रहना विधिक रूप से लोकहित में न हो या इस अधिनियम के उद्देश्यों के विपरीत हो।

(2) ऐसा सदस्य जिसे उपरोक्त उप अनुच्छेद (1) के अन्तर्गत हटाया जाना प्रस्तावित हो, उसे आयोग के अध्यक्ष के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करने हेतु अवसर दिया जावेगा ।

9. <u>विविध</u>

(1) विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानो द्वारा इस विनियम के अनुसरण में इस विनियम के क्रियान्वयन, विभिन्न विषयों पर अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं तथा अन्य प्रासंगिक एवं सहायक विषयों पर आयोग समय–समय पर ऐसे आदेश एवं जिनके लिए आयोग को इस विनियम द्वारा निर्देश जारी करने हेतु अधिकृत किया गया हो ।

(2) आयोग किसी भी समय इस विनियम के किसी प्रावधान को बढ़ा सकेगा, परिवर्तित / बदल / सुधार या संशोधित कर सकेगा ।

(3) यदि इस विनियमों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो आयोग कठिनाई को दूर करने के लिए स्वयं उचित कार्यवाही करसकेगा या समिति को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो आयोग की राय में आवश्यक हो ।

टीपः– राज्य परामर्शदात्री समिति का गठन एवं उसकी कार्य प्रणाली के हिन्दी रूपांतरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा।